FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प ओलवी

वादी **बनाम** **प्रतिवादी**

प्रेमाराम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या–173/2021

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
26.11.2021	प्रार्थी प्रेमाराम पुत्र सुराराम जाति विश्नोई निवासी जालेली फौजदारा तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर **कैम्प ओलवी** में धारा–88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम ओलवी तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 45 रकबा 16 बीघा 6 बिस्वा खातेदारी भूमि वादी की आयी हुयी है। पूर्व में उपरोक्त भूमि सज्जन कंवर पत्नी दलपतसिंह जाति राजपूत निवासी चौपड़ा तहसील सोजतसिटी की थी। खातेदार सज्जन कंवर से वादी प्रेमाराम ने दिनांक 12.03.2019 को उक्त भूमि को खरीद कर लिया जब बैचाननामा दिनांक 12.03.2019 को निष्पादित कराया गया तब वादी का नाम बैचाननामा में प्रेमाराम दर्ज कराया उक्त बैचाननामा दिनांक 12.03.2019 का नामान्तकरण संख्या 1874 स्वीकृत किया गया लेकिन हल्का पटवारी ने नामान्तकरण संख्या 1874 में मेरा नाम प्रेमाराम के बजाय प्रेमराज दर्ज कर दिया जबकि बैचाननामा में मेरा नाम प्रेमाराम सही दर्ज है। वादी के सारे सरकारी दस्तावेजात प्रेमाराम के नाम से जारी किये है। वादी का राजस्व रेकर्ड मे प्रेमराज लिख देने से वादी अपनी भूमि से सरकारी सहायता प्राप्त करने से वंचित हो रहा है। इस कारण वादी को यह दावा पेश करना पड़ रहा है। अन्त में निवेदन किया कि उक्त खातेदारी भूमि में प्रेमराज पुत्र सुराराम के स्थान पर प्रेमाराम पुत्र सुराराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जावे। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी प्रेमाराम ने अपने वाद के	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:04:12 IST
Reason: SelfAttested

समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी प्रेमाराम का आधार कार्ड, बैचाननामा सज्जन कंवर बहक प्रेमाराम दिनांक 12.03.2019, जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 खसरा नम्बर 45 (खाता संख्या नया 136) आदि को पेश किये है। तथा वादी के समर्थन में बयान रामुराम पुत्र तेजाराम जाति विश्नोई निवासी ओलवी के कलमबद्ध कराये गये। कार्यालय ग्राम पंचायत ओलवी द्वारा जारी किया गया विरासत प्रमाण पत्र को पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा नें जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादी ने मजमा आम में निवेदन किया कि मेरा नाम उपरोक्त खातेदारी भूमि में प्रेमराज

गलत लिख दिया गया है, गलत प्रविष्टि के कारण मै कोई भी भूमि के सम्बंध में सरकारी सहायता प्राप्त करने से वंचित हो रहा हूं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादी का नाम प्रेमाराम के बजाय प्रेमराज दर्ज कर दिया गया है, जो एक त्रुटी है। उक्त वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः ग्राम ओलवी तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 45 रकबा 16 बीघा 06 बिस्वा की खातेदारी भूमि में प्रेमराज पुत्र सुराराम के स्थान पर प्रेमाराम पुत्र सुराराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम ओलवी में खुले में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:04:12 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प ओलवी

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादी**
प्रेमाराम पुत्र सुराराम जाति विश्नोई निवासी जालेली फौजदारा तहसील व जिला जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 173/2021

निर्णय **दिनांक** :– 26.11.
2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादीगण स्वयं मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी संख्या–1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे"I होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम ओलवी तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 45 रकबा 16 बीघा 06 बिस्वा की खातेदारी भूमि में प्रेमराज पुत्र सुराराम के स्थान पर प्रेमाराम [illegible] काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद [illegible] पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:04:12 IST
Reason: SelfAttested

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.11. 2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि”नर			फीस कमि”नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:04:12 IST
Reason: SelfAttested